(47)

बिहार सरकार

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग

पत्र संख्याः—वै0दा0नि0को0 22/राज0 02/16 370(25) पटना, दिनांकः— 01/6/18

प्रेषकः—

सॉवर भारती,
अपर सचिव, वित्त विभाग।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
निबंधक (प्रशासन) पटना उच्च न्यायालय/
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी।

विषयः— वेतन पुर्जा निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग के पत्र सं0—42(25), दिनांक—13.01.2018 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के साथ समूह—ख के पदाधिकारी जिनका सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन लेवल—8 या उससे उपर है तथा जिनका वेतन पुर्जा इस कोषांग से पूर्व में निर्गत नहीं किया जाता है, का वेतन पुर्जा निर्गत करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दिनांक 01.04.2018 के उपरांत वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा के आधार पर ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगें।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग के पत्र सं0—42(25), दिनांक—13.01.2018 की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी को छोड़कर पुनरीक्षित वेतनमान के लेबल—8 या उससे उपर का पद जिनका पूर्व में इस कोषांग से वेतन पुर्जा निर्गत नहीं होता है का वेतन पुर्जा निर्गत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित पदाधिकारी का वेतन भुगतान पूर्व की भांति होता रहेगा।

3. प्रशाखा पदाधिकारी को बिना वेतन पुर्जा के वेतन भुगतान की समय सीमा दिनांक 01.04.18 से अगले छः माह अर्थात् 01.10.18 तक बढ़ाया जाता है। इसके उपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा निर्गत वेतन पुर्जा के आधार पर ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

1/6/18

(सॉवर भारती)
अपर सचिव, वित्त विभाग

MUKESH/LETTER 1